भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1001

सोमवार, 8 फरवरी, 2021 / 19 माघ, 1942 (शक)

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना / ग्वालियर

1001. श्री विवक नारायण शेजवलकर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना, ग्वालियर के अंतर्गत बाल-श्रम कर्मचारियों को गत 29 महिनों से उनका पारिश्रमिक नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) उनका भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार की राष्ट्रीय बाल-श्रम परियोजना, ग्वालियर में 20 वर्षों से ज्यादा समय से कार्यरत इन कर्मचारियों को स्थायी करने की कोई योजना है; और

(ड.) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एनसीएलपी योजना के अंतर्गत, जिला कलेक्टर / जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला परियोजना समितियों को अनुदान जारी किया जाता है, जो विशेष प्रशिक्षण केंद्रों को चलाने के लिए नियोजन तथा गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों/सिविल सोसायटी संगठन आदि को निधियाँ आवंटित करती हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एनसीएलपी, ग्वालियर के अंतर्गत जिला परियोजना सोसायटी को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए प्रथम किश्त के रूप में 51,36,500/- रुपये का सहायता अनुदान जारी किया है। वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट, उपयोग प्रमाण-पत्र आदि प्राप्त होने के बाद ही दूसरी किस्त जारी करने की प्रक्रिया आरंभ की जाती है।

(घ) और (ङ): वर्तमान में, श्रम और रोजगार मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

****